संख्या-05/2025/1/848151/2025/71-1002/19/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 13 जनवरी, 2025**

विषय:-केन्द्र सहायतित योजना "Strengthening and upgradation of State government medical colleges for starting new PG disciplines and increasing PG seats (Phase-II)" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज सहारनपुर में 08 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-48/2023/1293864/2023-71-1002/19/2022, दिनांक 27.03.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	स्वीकृत पी0 जी0 सीटों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश(40 प्रतिशत) की धनराशि
1	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	30	36.00	14.40
2	मेडिकल कालेज, जालौन	05	5.99	2.396
3	मेडिकल कालेज, बांदा	13	9.35	3.74
4	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	08	2.072	0.8288
5	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	49	58.8	23.52
6	मेडिकल कालेज, मेरठ	31	37.20	14.88
7	मेडिकल कालेज, आगरा	48	57.60	23.04
8	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	14	16.80	6.72
			योग-	89.5248

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उल्लेखनीय है कि अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/31/2016-एमई-।। एफटीएस-3074602, दिनांक 21.03.2023 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज सहारनपुर में 08 पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु अनुमोदित लागत रू0 2.072 करोड़ के सापेक्ष रू0 0.5 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त योजनान्तर्गत **राजकीय मेडिकल कालेज सहारनपुर में 08 पी0जी0 सीटों की वृद्धि** हेतु लेखाशीर्षक-4210-03-105-01-27-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एम0 बी0 बी0 एस0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की सीटों में वृद्धि मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) केन्द्रांश** के रूप में धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2024-दस/294-1-बी/2024/1-2024/231दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
4. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि (के.60-रा.40/के.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-271/दस-2024-25, दिनांक 28.12.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज सहारनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज सहारनपुर।
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।